



2026:AHC:15629

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 17911 वर्ष 2025

देवेन्द्र @ देवा

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार मिश्रा, शिवेश मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. श्री शिवेश मिश्रा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सुनील कुमार, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 361 वर्ष 2024, धारा 103(1), 309(6), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना-शेरगढ़, जनपद-बरेली में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम सह-अभियुक्त के कथित इकबालिया बयान में सामने आया है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है। आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध दर्शाए गए दो आपराधिक मामलों का स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, क्योंकि उक्त मामले वर्तमान प्रकरण के बाद आरोपित किए गए हैं। आवेदक दिनांक 25.12.2024 से कारागार में निरुद्ध है तथा विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का प्रभावी रूप से खंडन नहीं कर सके।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648** में प्रतिपादित किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र जमानत अस्वीकृत करने का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा जमानत का मामला बनता हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है तथा वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है। अतः जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदक **देवेंद्र @ देवा**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में निरुद्ध है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।
- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित / धमकाएगा नहीं।
- (iii) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विचारण न्यायालय को गवाहों के साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रवि कांत

Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।